

6
3

राजस्थान सरकार
कृषि (गुप-2) विभाग

क्रमांक: प.4/79/कृषि/गुप-2/2002

जयपुर, दिनांक 27.4.2005

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961, (1961 का अधिनियम संख्या-38) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963, के नियम 58(4) को तुरन्त प्रभाव से समाप्त करती है और उक्त धारा की उपधारा 4 के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन संशोधनों को पूर्व प्रकाशन से अभिवृत्त रखा जाये, क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि संशोधनों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये।

आज्ञा से,

(कं.सी. वर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.4/79/नियम/नियमन/ 3007-26

जयपुर, दिनांक 06.05.05

तेलिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. समस्त क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग ।
2. समस्त शाखा प्रभारी, कृषि विपणन विभाग, जयपुर ।

निदेशक
5.5.05
कृषि विपणन